उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल-462004

क्रमांक 241/68/सी.सी./38/20 भोपाल, दिनांक 13/03/2020

आदेश

राज्य में लोक स्वास्थ एवं लोक हित के दृष्टिगत, नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु एवं प्रदेश के महाविद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित/उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एहतियात के रूप में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है-

1. मध्यप्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा।
2. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में संचालित वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
3. उक्त अवधि में समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सामूहिक गतिविधियां जैसे क्रीड़ा गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, सेमिनार एवं कार्यशाला इत्यादि सामूहिक गतिविधियों का संचालन स्थगित रहेगा।
4. उक्त अवधि में मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयो/महाविद्यालयों में समस्त शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टॉफ संस्था में उपस्थित रहकर यथावत शासकीय/परीक्षा कार्य सम्पादित करेंगे।
5. उक्त अवधि में प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टॉफ की संस्था में उपस्थिति के संबंध में अपने स्तर पर स्वविवेक से समुचित निर्णय ले सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश में वर्णित उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(नीरज मंडलोई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

पृ. क्रमांक / प्रशासन / संस्थापन / 2020 / 2913 दिनांक : 13.3.2020

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / निदेशक / प्रभारी, समस्त अध्ययनशालाऐं विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।
5. समस्त अधिकारीगण, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, उज्जैन।
7. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

Scanned with CamScanner